REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2021

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

डॉ. विम्मी बहल
(सहायक प्राध्यापक)
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.).

सारांश

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (वर्तमान में) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इंडिया की जगह भारत की झलक मिले। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विषय अंग्रेजी में ही होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पूरा फोकस हिन्दी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर रहेगा तो देश में रोजगाार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएंगें।

कुटशब्दः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रमुख सिद्धान्त, समावेशी शिक्षा.

प्रस्तावना

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। आजादी के बाद से ही शिक्षा को ही हर बार परिवर्तन का माध्यम माना जाने लगा है। शिक्षा में हर बार नये

प्रयोग कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। जितने प्रयोग इस क्षेत्र में होते है उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में होते होंगें। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर अनेक परिर्वतन समय समय पर किए जाते रहे है लेकिन फिर भी यह लगता रहा है कि हर बार कुछ न कुछ छूट रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का एक प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानना।
2. इस नीति के लक्ष्यों एवं सिद्वान्तों के बारे में जानना।
3. नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानना।
4. नई शिक्षा नीति में अभिभावकों एवं शिक्षकों हेतु क्या नवाचार है? को जानना।

शोध विधि

यह लेखपत्र द्वितियक स्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। इस हेतु विभिन्न रिपोर्ट, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

शोध समीक्षा

गंगवाल सुभाष 2020 ने लिखा है कि 21वीं सदी ज्ञान प्रधान सदी है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिवर्तन के प्रमुख आधार है। किसी भी देश, समाज और परिवार को विकसित, समृद्ध एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए शिक्षा को महत्व देना होगा। भारत में शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित में शिक्षा का मसौदा तैयार करती है, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा लिया जाता है लेकिन राज्यों की विधान सभाओं को भी विचार विमर्श, बहस के माध्यम से अनुमति प्रदान करनी होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। नीति का मसौदा निर्मा॥ डॉ. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया है ताकि पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सके। देश में एक सी शिक्षा नीति के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (वर्तमान में) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ती जा रही है। शिक्षा महंगी हो रही है। सरकारी शिक्षा में बजट कम हो रहा है, ऐसे में नई नीति किस तरह से देश एवं युवाओं के लिए मददगार होगी यह अभी भविष्य के गर्त में है।

प्रो. शर्मा के. एल. 2020 ने अपने लेखपत्र में लिखा है कि शिक्षा से सशक्त और सविमर्शी समाज बनाया जा सकता है लेकिन शिक्षा इतनी गुणवत्तापरक हो कि मनूष्य खुद को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से दृढ़ समझ सके। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकर॥ का साधन है। एस. राधाकृष्ण आयोग 1948, डी.एस. कोठारी आयोग 1964, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अध्यापक राष्ट्रीय आयोग 1983, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1999 और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बढ़कर क्या यह शिक्षा नीति है? अब तक कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा की दशा एवं दिशा की व्याख्या समावेशी मानी गई है। क्या वर्तमान शिक्षा नीति इससे भी व्यापक और गहन है? नीति आयोग के अनुसार नई नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली द्वारा नए भारत का निर्माण संभव होगा। नई नीति में प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक संतुलित शिक्षा से सबको विकास का अवसर मिलेगा। परन्तु नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थी की दूषित स्थिति से निपटने पर यह नीति मौन है, इस पर किसी प्रकार की विवेचना का अभाव है।

सिंह दुर्गेश 2020 ने अपने लेख पत्र में लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रीस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित लेकिन रोजगार विहिन युवाओं को तैयार करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवा तैयार करने में सक्षम नहीं है। सरकार को इसके लिए शिक्षा में निवेश करना होगा। यद्यपि सरकार ऐसा कर भी रही है। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा

देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए।

देश में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की गई। न्यायालयों ने समय समय पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विषय पर अपनी व्याख्या की है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी भी बेहतर तरीके से किया जाना शेष है। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा ढ़ाँचें में यह तीसरा बड़ा बदलाव है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुरानी नीतियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसमें सबको शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा होगा। नई नीति ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें 2030 के विकास एजेंडे को ध्यान में रखा गया है। इसमें उच्चतर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया गया है। जिसमें सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। एक नई राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया जाएगा जो उच्च स्तरीय शिक्षा में टेस्टिंग एजेंसी का काम करेगी।

नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो। इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण आदि सब को शामिल किया गया है। इस नीति में सभी विद्यार्थियों को चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर अधिक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नीति के प्रमुख सिद्वान्त इस प्रकार है–

1. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
2. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
3. शिक्षा में लचीलापन लाना ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हों।
4. कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों में, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में विरोध एवं अलगाव की भावना नहीं हो।
5. एक बहु विषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना।
6. अवधारणात्मक सोच का विकास करना न कि रटंत एवं परीक्षा की पढ़ाई पर जोर।
7. रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना ताकि नवाचारों को प्रोत्साहन मिले।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।
9. बहुभाषा शिक्षा प्रणाली अपनाना ताकि अध्ययन–अध्यापन कार्य में भाषा की शक्ति को पहचान मिल सके।
10. जीवन कौशल अर्थात आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना।
11. सीखनें के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर देना न कि परीक्षा को महत्व देना ताकि कोचिंग संस्कृति का विनाश हो सकें।
12. शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए तकनीक पर जोर देना।
13. विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना।
14. सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण क्षमता और समावेशन को ध्यान में रखना।
15. विद्यालय से महाविद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में तालमेल एवं सामंजस्य बिठाना।
16. शिक्षकों एवं संकाय को सीखने का केंद्र मानते हुए इनकी भर्ती आदि हेतु उन्नत सुविधाओं का विकास करना।
17. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध का विकास करना।
18. भारतीय परम्पराओं एवं गौरव का विकास करना। देश की प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति, ज्ञान एवं परम्पराओं का समावेश करना।

19. शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानते हुए इसे प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए। इस हेतु आवश्यक प्रयास करना।
20. मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षा में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

सभी पाठ्यक्रमों में सुधार प्रारम्भ से ही किया जाएगा। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर रोक लगेगी। अगर कोई संस्थान अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे शिक्षा के विकास में खर्च करना होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को जारी की गई जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकारें काफी फण्ड रिटेन करके रखा हुआ है अर्थात व्यय किया ही नहीं है जो कि शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, जो कि एक कमजोर वित्तीय नियंत्रण को बताता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 35 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश 6 वर्षों में 12,259 से 17,282 करोड़ रूपये खर्च ही नहीं कर पाए। स्कूल शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। 2014—15 में यह बजट 55,115 करोड़ रूपए था। वर्ष 2016—17 में यह 43,554 करोड़ रूपए हो गया। परन्तु 2019—20 में यह राशि 56,536 करोड़ रूपए हो गया। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा का अधिक नीजिकरण नहीं करना चाहिए अन्यथा वह एक व्यवसाय बन जाती है जिसका समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं होता। शिक्षा में तकनीक अधिक भूमिका निभा रहा है। उपस्थिति से लेकर पढाने एवं सिखाने का काम भी अब तकनीक के माध्यम से किया जाने लगा है। शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर किया गया विनियोग कभी भी बेकार नहीं जाता। शिक्षा में बार—बार नवीन परिवर्तन करने की बजाए मौजूदा योजनाओं को ही सही व्यवस्था एवं तरीकों से लागू करना चाहिए। गीब और वंचित वर्गों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

आज भी देश में बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। ये वे आवश्यक विषय है जिन पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विषय अंग्रेजी में ही होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पूरा फोकस हिन्दी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर रहेगा तो देश में रोजगार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएगें। एक कल्याणकारी देश की उन्नति एवं उन्नत भविष्य के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी परिर्वतनों में अपने आप को समायोजित करके अपना विकास कर सके। इसके लिए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सके।

संदर्भ

1.प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
2.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3.प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020
4.गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ट संख्या 4, 22 अगस्त 2020
5.राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ट
6.तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ट
7.सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ट संख्या 80—81

डॉ. विम्मी बहल
(सहायक प्राध्यापक)
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.).